



Neutral Citation-2026: AHC:19280

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2637 वर्ष 2026

श्रीमती रूबी सावयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मनोज कुमार, सौरभ राज

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, नगर, तहसील सदर, जिला जौनपुर को निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के अंतर्गत, वाद संख्या 8481/2023, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202314360408481 (रूबी साव बनाम राम चंद्र) का विनिश्चय एक निर्धारित समयावधि के भीतर करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का विनिश्चय एक समय-बद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार, मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल खारिज के निर्विवाद मामले को और 90 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल खारिज के विवादित मामले को निपटाने का प्रयास करेगा; और यदि ऐसी अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, फिर भी आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2/नायब तहसीलदार, नगर, तहसील सदर, जिला जौनपुर को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त मामले का निर्णय, उ. प्र. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करे, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026
स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"